बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0–पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–18 / 2011– 2209

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक–03/12/2014

विषय– **2013–14 (नवीनीकरण) एवं 2014–15 (नवीन एवं नवीनीकरण) अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन एवं संलग्न प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–2159 दिनांक–25.11.2014 को कतिपय कारणों से निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 (नवीनीकरण) एवं 2014–15 (नवीन एवं नवीनीकरण) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त On Line आवेदन से संबंधित एक सामान्य अनुदेश एवं आवेदकों के संबंध में भौतिक सत्यापन हेतु एक प्रपत्र संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0–**यथोक्त**।

विश्वासभाजन,

3/12/14

(मनोज कुमार)
सरकार के उप सचिव।

Letter

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

2013–14 (नवीनीकरण) एवं 2014–15 (नवीन एवं नवीनीकरण) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति On Line आवेदन से संबंधित सामान्य अनुदेश

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम आवेदन के साथ संलग्न किये गये नवीनतम अंक प्रमाण–पत्र के अनुसार होना चाहिए।
2. आवेदक के हस्ताक्षर का मिलान अभिभावक के घोषणा पत्र या "Final Submit" के बाद की प्रतिलिपि में आवेदक द्वारा किये गये हस्ताक्षर से किया जाना चाहिए।
3. आय प्रमाण–पत्र अद्यतन होना चाहिए।
4. जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र एवं आवासीय प्रमाण–पत्र का सत्यापन GAD (सामान्य प्रशासन विभाग) के बेवसाइट के लिंक के द्वारा किया जाएगा।
5. आवेदक छात्र/छात्रा, जिस कॉलेज या संस्थान में अध्ययनरत है उस संस्थान को भारत सरकार/राज्य सरकार/यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/एम0सी0आई0 इत्यादि से मान्यता का सत्यापन करने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
6. नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदन का सत्यापन संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा जारी किये गये (2012–2013) List के अनुसार किया जाऐगा।
7. आवेदक के द्वारा दिये गये आवेदन में शुल्क विवरण का सत्यापन आवेदन के साथ संलग्न शुल्क दस्तावेज से किया जायेगा।
8. अनुरक्षण भत्ता की गणना करने के लिए कोर्स एवं छात्रावास में रहने का प्रमाण–पत्र अवश्य जाँच लिया जाय।
9. आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये बैंक का खाता संख्या (Account No.) उनके स्वयं का होना चाहिए।

नोट– (1) यदि एक आवेदक एक से ज्यादा आवेदन करता है तो अनुवर्ती (LAST) आवेदन ही स्वीकृत किया जाऐगा।

(2) आवेदक अगर आवेदन में अपना नाम एक जगह अभिजित कुमार (Abhijit Kumar) और दूसरी जगह A.Kumar अंकित करता है तो Abhijit Kumar को ही स्वीकृत किया जाऐगा।

(3) संशय की स्थिति में विभाग से परामर्श/अनुमति प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

Rajnish(Nilesh)

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

जिला का नामः–

क0	आवेदन सं0	प्रपत्र – राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों से संबंधित			स्थानीय स्थलीय जांच प्रतिवेदन – प्र0क0 पदा0/ विकास मित्र का नाम :–				प्रखण्ड का नाम, जहां जांच किया गया है :–	
		छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	जाति	आवासीय पता	प्रतिवेदित आवेदन के संस्थान का पता	प्रतिवेदित कोर्स	छात्र के पिता से संबंधित ब्यौरा (पेशा एवं अनुमानित आय)	छात्र से संबंधित ब्यौरा (पढ़ता है या नहीं, यदि हां तो संस्थान का नाम)	आवेदन पत्र में उल्लिखित संस्था में नहीं पढ़ता है तो वर्तमान में क्या करता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

उप सचिव